भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4685

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में आयुष उपचार सुविधाएं

4685. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष रूप से कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष उपचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इसके लिए उपलब्ध कराई गई निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कर्नाटक में इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का दीर्घकालिक रोगों के उपचार में इसकी प्रभावशीलता और एलोपैथी की तुलना में इसकी वहनीयता पर विचार करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, कर्नाटक में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हालाँकि, 16 आयुष अस्पताल और 663 आयुष औषधालय कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष उपचार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत कर्नाटक राज्य सरकार से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान, इन आयुष उपचार सुविधाओं के लिए उन्हें 59.29 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है। इसके अलावा, एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों जैसे आयुष अस्पतालों/औषधालयों के उन्नयन, मौजूदा आयुष औषधालयों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के संचालन और आयुष अस्पतालों/औषधालयों को आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके इन सुविधाओं के विस्तार को बढ़ाने और सुगम बनाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। तदनुसार, राज्य सरकार एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

(घ) और (ङ): आयुष मंत्रालय एनएएम के तहत निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है।

i. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

ii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

iii. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।

iv. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

v. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति।

vi. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

vii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)।

viii. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता।

ix. आयुष ग्राम।

x. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

xi. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/ पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है और इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुर्वेद दिवस सहित आयुष पद्धतियों के महत्वपूर्ण दिवस मनाता है, स्वास्थ्य फेयर/मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाएँ, सम्मेलन आयोजित करने और मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****